समाहरणालय, अरवल

(जिला सामान्य शाखा)

अरवल जिलान्तर्गत चौकीदार के पद पर नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन।

विज्ञापन सं0–01/2024 (जि0सा0शा0, अरवल)

बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 (बिहार सरकार, गृह (आरक्षी) विभाग, अधिसूचना सं0–01/चौ0/दफा0/90–01/2001–गृ0आ0–9339, दिनांक–25.08.2006) तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–17217/2008 (राम बिलास सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) एवं एम0जे0सी0 सं0–3539/2019 (राम बिलास सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में अरवल जिलान्तर्गत चौकीदार के कुल–223 (दो सौ तेईस) रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अरवल जिला के सुयोग्य उम्मीदवारों से जिला नियोजनालय कार्यालय, अरवल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। कुल–223 (दो सौ तेईस) रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है :–

पद का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति											
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
चौकीदार	223	25	14	05	02	53	28	00	00	14	08	48	26

वेतनमान– वेतन स्तर–01

शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव :–

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं/मैट्रिक अथवा समकक्ष (मान्यता प्राप्त बोर्ड) होगी। मैट्रिक/दसवीं अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को (जन्मतिथि के आधार पर) वरीयता दी जायेगी। अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा (महिला अभ्यर्थी के मामले में यह शर्त क्षांत समझी जाएगी)।

उम्र सीमा :–

दिनांक–01.07.2024 (Cut off Date) को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा कोटिवार अधिकतम आयु सीमा निम्नवत होगी :–

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरूष) :– 37 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) :– 40 वर्ष
(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) :– 40 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) :– 42 वर्ष

आवेदन करने की प्रक्रिया तथा समय सीमा :–

त्रुटिरहित आवेदन पत्र सीधे निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा जिला नियोजनालय कार्यालय, अरवल **ब्लॉक कैम्पस, अरवल, पिन कोड–804401** के पते पर प्राप्त किये जाएगें। आवेदन–पत्र दिनांक–20/07/2024 को संध्या–05:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त आवेदन–पत्र विचारणीय नहीं होंगे।

आवेदन भेजने का पता :—जिला नियोजन पदाधिकारी, अरवल; जिला नियोजनालय कार्यालय, अरवल; प्रखंड परिसर, अरवल, पिन कोड—804401

लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम अंकित करना अनिवार्य है।

आवेदन करने की शर्तें:—

(क) आवेदक द्वारा समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) पिछ्डा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र, जिसमें क्रिमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणियों को लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र मान्य होगा

(ग) अभ्यर्थियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र आवेदन—पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक—2526 दिनांक—12.12.2016 के अनुसार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है; के पोता/पोती/नाती/नतिनी को नियुक्ति में 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। अर्थात चयनित उम्मीदवार जिन आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी।

(च) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0—2342 दिनांक—15.02.2016 के अनुसार आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(छ) नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा अर्थात चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी।

(ज) आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण रहने पर आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

(झ) अभ्यर्थी को अरवल जिला का निवासी होना अनिवार्य है। साक्ष्य स्वरूप निवास प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।

(ञ) आवेदन के साथ समर्पित किये गये कोई भी कागजात यदि फर्जी पाए जाते है तो उसके लिए आवेदक स्वयं जवाबदेह होंगे एवं उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण—पत्रों की स्व—अभिप्रमाणित प्रति साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(1) शैक्षणिक प्रमाण—पत्र।
(2) निवास प्रमाण—पत्र।
(3) जाति प्रमाण—पत्र (केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू)।
(4) अद्यतन आचरण प्रमाण—पत्र (पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत)।
(5) साईकिल चालाने संबंधित स्व घोषणा—पत्र (महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं)।
(6) दिव्यांग प्रमाण—पत्र (दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू)।
(7) केन्द्रीय पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोति/नतिनी/नाति होने का परिचय/प्रमाण—पत्र (केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू)।
(8) हाल का अतिरिक्त दो रंगीन फोटोग्राफ (फोटोग्राफ के पीछे विज्ञापन सं0, पद का नाम, नाम एवं पूरा पता उल्लेखित करे)।
(9) आधार कार्ड।

आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

नोट :—नियुक्ति प्रक्रिया बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 (बिहार सरकार, गृह (आरक्षी) विभाग, अधिसूचना सं0–01/चौ0/दफा0/90–01/2001–गृ0आ0–9339, दिनांक–25.08.2006) के प्रावधानों के आधार पर होगी। साथ ही चौकीदार पद का सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर रिक्तियों में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों अथवा माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय–निर्णयों से प्रभावित होगी।

25/06/2021

जिला पदाधिकारी,
अरवल।